प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 06.03.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा 28 हजार 921 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 28 हजार 921 रुपये की धनराशि उनके खातों में वापस कराई गयी।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी रमेश चन्द्र पुत्र रामप्यारे निवासी धरैची थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर पुत्री शिवांगी चौधरी को अज्ञात नम्बर के काल आया तथा अपने को साइबर अधिकारी बताते हुए कि आप अपने मोबाइल में गंदे विडियो व फोटो देखती है, इतना पैसा भेज दिजिए नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जायेगा। वादी की पुत्री डर गयी और 48,500 रूपये क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रान्सफर कर दिया गया। तत्पश्चात् वादी द्वारा ncrp पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज किया गया। जिसके उपरान्त तत्काल कार्यवाही करते हुए 40,800 रूपये की धनराशि होल्ड कराई गयी। जिसमे से आज दिनांक 06.03.2026 को 28,921 रूपये आवेदक के खाते में वापस करा दिया गया। शेष धनराशि रिफन्ड करने हेतु सम्बन्धित बैंक को मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति भेजी गयी है।
बरामदगी टीम- प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्री जयप्रकाश चौबे , हे0का0 मोहम्मद हिन्दे आजाद, का0 रामप्रवेश मद्देशिया, का0 धीरेन्द्र कुमार प्रसाद, म0का0 अमृता सिंह, म0का0 हिना गौड़।

जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 17 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 6893 द्वारा अज्ञात वाहन से मोटरसाईकिल सवार को टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6893 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत चकदही पल के पास से कालर द्वारा अज्ञात वाहन और मोटरसाईकिल द्वारा आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (01.विशाल पुत्र अमरनाथ निवासी सिरमोहनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बूलेंस की सहायता से ही ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बूलेंस की सहायता ईलाज हेतु अस्पताल पहुँचाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- मु0का0 अजीत कुमार यादव, का0 लल्लन पासवान, हो0चा0 राकेश पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 49 वाहनों से 49,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनाँक 06.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 49 वाहनों से 49,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* मु0अ0सं0 68/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता शिवपाल यादव उर्फ गोलू पुत्र श्याम यादव निवासी नोनिया छापर थाना भटनी जिला देवरिया को मेंहदावल रोड़वेज के पास गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 28.02.2026 को थाना मेंहदावल पर वादी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 06.02.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आजम अंसारी, का0 राहुल यादव।

साइबर सेल थाना दुधारा पुलिस की बड़ी सफलता: पुलिस बनकर ठगी करने वाले गिरोह से ठगी गई शत-प्रतिशत धनराशि कराई वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में थाना दुधारा के साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़िता के खाते में 25700 रुपये की धनराशि वापस कराई गयी।

घटना का विवरण:-
विदित हो कि दिनांक 16.07.2025 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़िता को स्वयं को पुलिस अधिकारी बताकर फोन किया गया और उसे डरा-धमकाकर 25,700 रुपये की साइबर ठगी की गई थी। इस संबंध में पीड़िता के देवर द्वारा थाना दुधारा स्थित साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।
पुलिस की कार्यवाही:-
शिकायत प्राप्त होते ही साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आ0 ऋषिकेश यादव द्वारा तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए शिकायत दर्ज की गई और संबंधित बैंक व वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर धनराशि को फ्रीज कराया गया। कड़ी मेहनत के फलस्वरूप:

- दिनांक 31.01.2026 को प्रथम किश्त के रूप में 6,000 रुपये पीड़िता के खाते में वापस कराइ गइ।
- शेष धनराशि की निरंतर पैरवी के बाद, आज दिनांक 06.03.2026 को ठगी गई पूरी बकाया राशि भी पीड़िता को सकुशल बरामद करा दी गई है।

अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर पीड़िता और उनके परिजनों ने संतकबीरनगर पुलिस व साइबर टीम का आभार व्यक्त किया है।
पुलिस टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, आ0 हेमन्त कुशवाहा,आ0 ऋषिकेश यादव,आ0 अनुज कुमार।

जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।